बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

सूचना

– :: सेवानिवृत्त प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक की संविदा पर नियुक्ति ::–

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के सूचना–सह–जन शिकायत कोषांग, पटना में सृजित प्रशाखा पदाधिकारी के एक पद पर बिहार सचिवालय सेवा के सेवानिवृत्त प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक को संविदा के आधार पर निम्न शर्त्तों के तहत् नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :–

(i) संविदा के आधार पर नियुक्ति 1 (एक) वर्ष के लिए होगी।

(ii) विज्ञापन की अंतिम तिथि को आयु 64 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी। चयन हेतु सेवानिवृत्त प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक के सेवाकाल का सेवा इतिहास स्वच्छ रहना आवश्यक होगा।

(iii) प्रतिमाह पारिश्रमिक, सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन एवं पेंशन की राशि घटाकर अधिकत्तम ₹ 10,000/– (दस हजार रूपये) होगा।

(iv) अनुबन्ध के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्तियों द्वारा नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमितिकरण का दावा मान्य नहीं होगा।

(v) अनुबन्ध समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति का पुनर्नियोजन नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका अनुबन्ध स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिए किसी आदेश का निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

(vi) संविदा अवधि समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर या एक माह की संविदा राशि एक मुश्त देकर समाप्त की जा सकेगी।

(vii) इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मी पूर्ण विवरण के साथ आवेदन निबन्धित डाक/स्पीड पोस्ट से प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, मुख्य सचिवालय बिहार, पटना को भेजेंगे।

(vii) आवेदन दिनांक 30.06.2012 तक को अपराह्न 05:00 बजे तक विभाग में प्राप्त हो जाना चाहिए।

2. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के बेवसाईट www.csd.bih.nic.in पर भी इस सूचना को देखा जा सकता है।

Vkverma 05/06/2012

(विजय कुमार वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव